

03/10 पत्रावली प्रेषण दुर्घटना वकील वादी अस्पष्ट पत्रावली के
 प्रेषण में निम्नोक्त तथ्य प्रेषित किया जा चुका है।
 जो आगमन रहे। लाकड़ के शपथ पत्र कमाई
 चिप P-10-1 इन्डिया का प्रेषित किया। 10/10 को
 इन्डिया का प्रेषित किया। 10/10 को
 प्रेषित किया। 10/10 को प्रेषित किया।
 प्रेषित किया। 10/10 को प्रेषित किया।
 प्रेषित किया। 10/10 को प्रेषित किया।

सहायक उपायुक्त (अधिकारी) लोक मजिस्ट्रेट
 चिडावा जिला बुन्देलखण्ड (राज.)

वकील वादी को निवेदन किया की वह प्रत्ये
दर्ज अनुसार घोषित कर खाली विभाजन कि
जो

अतः पत्रावली का सुव्यवस्था व दस्तावेजों, रिपोर्टों
को दस्तावेजों पर वाद वादी डिप्टी
किया जाता है की विवादित जमीन हाल खसरा
नं० 25 खसरा 214 ह० खसरा ग्राम रिलावपुर
तहसील कच्छिया में वादी खसरा नं० 113 ह०
व हिले का अपातोदा व प्रतिवादी नं० 11 ला
को लुगुन्य अपते 113 ह० हिले का अपातोदा व
प्रतिवादी नं० 16 को 113 हिले का अपातोदा
अंशालाकार घोषित किया जाता है और सिन्ध
जमीन खसरा नं० 50 खसरा 257 ह०, खसरा नं०
199 खसरा 183 ह०, खसरा नं० 213 खसरा 210 ह०
खसरा नं० 214 खसरा 182 ह०, खसरा नं० 61 खसरा
188 ह० खसरा खसरा ग्राम रिलावपुर में
वादी खसरा नं० 1115 ह० हिस्सा व प्रतिवादी
नं० 11 व 15 को लुगुन्य अपते 1115 ह०
हिस्से का व प्रतिवादी नं० 16 को 1115 ह०
हिस्से का व प्रतिवादी नं० 11 व 2 को लुगुन्य
अपते 1115 ह० हिस्से का, प्रतिवादी नं० 3 व 4
को लुगुन्य अपते 1115 ह० हिस्से का, प्रतिवादी
नं० 5 व 9 को लुगुन्य अपते व हिस्सा
खसरा 1115 ह० हिस्सा का व प्रतिवादी नं०
10/1 ला 10/7 को लुगुन्य अपते 1115 ह०
हिस्से का अपातोदा अंशालाकार घोषित किया
जाता है

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

आह्वान
हुक्म की
में जारी

इसी अनुसार पत्रकारों का राजस्व रिपोर्ट
में दर्ज कर मौज्जा करवाना व राजस्व रिपोर्टों को
अनुसार अपाता विभाजन करें।

तदानीलद्वारा चिट्ठा पत्रकारों को जारी
व दिल्ली राजस्व रिपोर्टों में दर्ज कर अपाता
विभाजन कर अपराजित कर अलग-अलग
कामों में इसी अनुसार रिपोर्ट जारी है।
पत्रावली में डाल कुमार द्वारा जमा कर (फि कर्)
की जाकर देखी जा सकता है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) चिड़ावा